कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमाक– 95 /184/बजट/आउशि/2018 भोपाल, दिनांक– 16.01.19

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत आवंटित राशि के आहरण एवं उपयोग संबंधी।

उपरोक्त विषय में कृपया ज्ञात हो कि विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/बजट शीर्षो में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 01 अप्रेल 2018 के पश्चात समय–समय पर आवंटन जारी किया गया है। जारी किये गये आवंटनों की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड की गई है। कृपया अवलोकन करें। इस संबंध में स्मरण पत्र कमांक 2466 दिनांक 05..12.2018 द्वारा आहरण एवं उपयोग हेतु निर्देशित किया गया है।

आपके महाविद्यालय के लिए आवंटित राशि आपके डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है। जिन महाविद्यालयों के डी.डी.ओ.कोड नहीं है उनको आवंटित राशि संबंधित अग्रणी महाविद्यालयों डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है।

ज्ञात हो कि सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में कय पर प्रतिबंध एवं राशि के आहरण पर प्रतिबंध लग जाता है। अतः कृपया आपके तथा अधीनस्थ महाविद्यालय के लिए आवंटित समस्त राशि का यथाशीघ्र नियमानुसार आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित किया जावे। यदि किसी योजना/बजट शीर्ष में राशि की आवश्यकता नहीं हो तो शेष राशि तत्काल आई.एफ.एम.आई.एस.के माध्यम से बी.सी.ओ. 3802 में समर्पित की जावे।

इसी प्रकार जिन योजनाओं में ग्लोबल बजट अन्तर्गत प्रावधान है, उन योजनाओं में भी आवश्यकता का ऑकलन कर तत्काल नियमानुसार आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यदि किसी योजना अन्तर्गत राशि लैप्स होती है तथा भुगतान लंबित रहता है और हितग्राही लाभांवित होने से वंचित रहते है तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी।

संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 96 /184/बजट/18, भोपाल, दिनांक 16.01.19

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर नोटशीट कमांक 77/उशि/19, दिनांक 11.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत।

(2) क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक–भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर,रीवा, सागर एवं उज्जैन संभाग,मध्यप्रदेश–कृपया आपके अधीनस्थ महाविद्यालयों को उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।

संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश